कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक **एफ.5(43) परीक्षा क/प्राध्यापक/(स्कूल शिक्षा)/2012–13/968 दिनांक** 12.12.19 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)– राजस्थानी वेतन लेवल–12 के पद पर चयनोपरान्त अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप अभ्यर्थी को प्राध्यापक राजस्थानी (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर प्राधयापक (स्कूल शिक्षा)–राजस्थानी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ–12(06) एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ–15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 9.12.17 के प्रावधानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा । राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक(क–2)/3 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:–

1 अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, **तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र** एवं अन्य नाम–उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।

2 सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

3 कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट मे कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

4 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

5 जिन अभ्यिर्थीयों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।

6 **चयनित अभ्यिर्थी विभाग की वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in/ से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।**

7 संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि शाला दर्पण पोर्टल पर नव चयनित व्याख्याता कार्यग्रहण रिपोर्ट अपलोड की कार्यवाही संपादित करवाते हुए कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय की मेल आई डी so.csection@gmail.com पर प्रेषित करे।

यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या–4988/2015, दिनेश चन्द टेलर एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एंव अन्य तथा 78 अन्य रिट याचिकाओं में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 22.09.2015 के विरूद्व आयोग द्वारा दायर डी.बी.सिवील स्पेशल अपील संख्या–1108/2015 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम दिनेश चन्द टेलर एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2015 के अध्याधीन रहेंगे एवं **याची अभ्यर्थी का उक्त परिणाम एंव नियुक्ति आयोग द्वारा दायर की जाने वाली रिव्यू याचिका में होने वाले निर्णय के अध्याधीन रहेगा।**

आयोग के मूल अभिरस्तावना पत्र दिनांक 10.07.2015 के अनुसार नियुक्ति की शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेगी। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 16.03.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी ।

क्रमांक	मेरिट नं.	चयन वर्ग	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थाई पता	पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जिला
1	21–A	STM	ST,WE	हेमलता मीणा	स्व. रामलाल मीणा	25/07/1989	भम्भोरी कालवाड, जयपुर	जाटावास रियां (219468)	नागौर

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–5/या.स. 12118/15/राजस्थानी/पीएससी–13 दिनांक 03/03/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/ कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा /मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा
4. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
5. संबधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
6. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।/ निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर